रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 8, 2010/फाल्गुन 17, 1931
No. 75] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 8, 2010/PHALGUNA 17, 1931

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2010

सं. 4-7/2009-म.क.—महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (2010-15) शुरू किए जाने का अनुमोदन कर दिया है। इस मिशन का उद्देश्य भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की स्कीमों/कार्यक्रमों का संकेन्द्रण करके उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। इसी के साथ-साथ यह मिशन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जेंडर बजट आयोजना तथा महिलाओं से संबंधित विभिन्न सामाजिक कानूनों के कारगर कार्यान्वयन का मानीटरन और समीक्षा भी करेगा। यह मिशन अपने प्रयासों के अंतर्गत, जहां कहीं उपलब्ध हो, भागीदार मंत्रालयों की मौजूदा संरक्षणात्मक व्यवस्थाओं और यथासंभव पंचायती राज संस्थाओं का उपयोग करेगा। यह राष्ट्रीय मिशन मुख्यत: उन क्षेत्रों में महिलाओं पर केंद्रित स्कीमों/कार्यक्रमों के मानीटरन-योग्य ससूचकों का जायजा लेने के लिए, जिनमें संकेन्द्रण की आवश्यकता है, मानीटरन निकाय की भूमिका अदा करेगा, ताकि लक्षित वर्गों तक बेहतर एवं कारगर ढंग से सेवाएं पहुंचाई जा सकें। अपनी इस भूमिका का निर्वाह करते हुए, यह मिशन किसी भी भागीदार मंत्रालय/विभाग या स्वायत्त निकाय के प्रचालनात्मक प्राधिकार का अतिक्रमण करेगा।

2. राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन में शीर्ष स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण होगा और विभिन्न राज्यों में उनके मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य मिशन होंगे। राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण की संरचना इस प्रकार होगी :—

(i) माननीय प्रधान मंत्री —अध्यक्ष
(ii) मानव संसाधन विकास मंत्री —सदस्य
(iii) वित्त मंत्री —सदस्य
(iv) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री —सदस्य
(v) ग्रामीण विकास मंत्री —सदस्य
(vi) पंचायती राज मंत्री —सदस्य
(vii) कृषि और सहकारिता मंत्री —सदस्य
(viii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री —सदस्य
(ix) लघु, छोटे एवं मध्यम उद्यम मंत्री —सदस्य
(x) विधि और न्याय मंत्री —सदस्य
(xi) पर्यावरण और वन मंत्री —सदस्य
(xii) श्रम और रोजगार मंत्री —सदस्य
(xiii) समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री —सदस्य
(xiv) उपाध्यक्ष, योजना आयोग —सदस्य
(xv) महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) —संयोजक सदस्य
(xvi) अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग —सदस्य
(xvii) दो राज्यों के मुख्य मंत्री (प्रधान मंत्री द्वारा बारी-बारी से नामित) —सदस्य
(xviii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के परामर्श से प्रधान मंत्री द्वारा नामित 5 प्रतिष्ठित नागरिक —सदस्य

3. राज्य मिशन प्राधिकरण की संरचना इस प्रकार होगी :—

(i) मुख्य मंत्री —अध्यक्ष
(ii) बुनियादी/माध्यमिक/उच्चतर/तकनीकी शिक्षा मंत्री —सदस्य

(iii)	वित्त/राजस्व मंत्री	—सदस्य
(iv)	आवास और गरीबी उपशमन मंत्री	—सदस्य
(v)	ग्रामीण विकास मंत्री	—सदस्य
(vi)	पंचायती राज मंत्री	—सदस्य
(vii)	कृषि/सहकारिता मंत्री	—सदस्य
(viii)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	—सदस्य
(ix)	छोटे और मध्यम उद्यम/उद्योग मंत्री	—सदस्य
(x)	विधि और न्याय मंत्री	—सदस्य
(xi)	पर्यावरण/वन मंत्री	—सदस्य
(xii)	श्रम और रोजगार मंत्री	—सदस्य
(xiii)	समाज कल्याण मंत्री	—सदस्य
(xiv)	महिला एवं बाल विकास मंत्री	—संयोजक सदस्य
(xv)	अध्यक्ष, राज्य योजना आयोग	—सदस्य
(xvi)	अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग	—सदस्य
(xvii)	महिला एवं बाल विकास मंत्री के परामर्श से मुख्यमंत्री द्वारा नामित प्रतिष्ठित नागरिक	—सदस्य

4. इसके अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ संकेन्द्रण के मुद्दों का जायजा लेने और इस विषय की जानकारी मिशन को प्रदान करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मानीटरन समिति होगी, जिसमें भागीदार मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि तथा संबंधित विषयों के सरकारी एवं गैर-सरकारी विशेषज्ञ और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में शामिल होंगे। मंत्री मण्डल सचिव की अध्यक्षता में अंतरमंत्रालयी समन्वयन समिति विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के उन मुद्दों की समीक्षा और अभिनिर्धारण करेगी, जिनके संबंध में संकेन्द्रण की आवश्यकता है। इस अंतरमंत्रालयी समन्वयन समिति में सभी भागीदार मंत्रालयों/विभागों के सचिव सदस्यों के रूप में शामिल होंगे। यह समन्वयन समिति अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को भी अपना सदस्य बना सकती है।

5. केन्द्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के बीच संकेन्द्रण सुनिश्चित करने के लिए मानीटरन करने के अतिरिक्त, पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से महिला लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने की व्यावहारिकता की जांच करने के लिए मिशन निदेशालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से यह मिशन प्रायोगिक परियोजनाएं भी चलाएगा। ऐसी प्रायोगिक परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करते समय पंचायती राज मंत्रालय से भी परामर्श किया जाएगा।

6. राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण और समन्वयन समिति को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मिशन निदेशालय और राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र राष्ट्रीय मिशन के सहायक निकाय होंगे। राज्य मिशन प्राधिकरणों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य महिला संसाधन केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

7. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों की संरचनाओं के कार्यकलाप के लिए मानकों के अनुसार आवश्यक निधियां महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उपलब्ध कराएगा।

स्वरूप नंदक्योलयार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

RESOLUTION

New Delhi, the 8th March, 2010

No. 4-7/2009-WW.—The Government of India has approved the launch of the National Mission for Empowerment of Women (2010-15) (NMEW) with a view to empowering women socially, economically and educationally. The Mission aims to achieve empowerment of women on all these fronts by securing convergence of schemes/programmes of different Ministries/Departments of Government of India as well as State Governments. Alongside, the Mission shall monitor and review gender budgeting by Ministries/Departments as well as effective implementation of various social laws concerning women. In this endeavour, the Mission seeks to utilise existing structural arrangements of participating Ministries wherever available and make use of Panchayati Raj Institutions (PRIs) as far as possible. The National Mission would primarily be a monitoring body for taking stock of monitorable indicators of women centric schemes/ programmes requiring convergent action for better and effective delivery to the targeted groups. In doing so, it would not impinge on the operational authority of any of the participating Ministry/Department or autonomous body.

2. The NMEW shall have National Mission Authority (NMA) at the apex level under the Chairmanship of Hon'ble Prime Minister and a similar Mission under the Chairpersonship of the Chief Ministers of respective States. The National Mission Authority (NMA) will comprise the following :

(i)	Hon'ble Prime Minister	—In Chair
(ii)	Minister of Human Resource Development	—Member
(iii)	Minister of Finance	—Member
(iv)	Minister of Housing & Urban Poverty Alleviation	—Member
(v)	Minister of Rural Development	—Member
(vi)	Minister of Panchayati Raj	—Member
(vii)	Minister of Agriculture and Cooperation	—Member
(viii)	Minister of Health and Family Welfare	—Member
(ix)	Minister of Micro, Small & Medium Enterprises	—Member
(x)	Minister of Law and Justice	—Member
(xi)	Minister of Environment and Forests	—Member
(xii)	Minister of Labour and Employment	—Member
(xiii)	Minister of Social Justice and Empowerment	—Member
(xiv)	Deputy Chairman, Planning Commission	—Member
(xv)	MOS (IC) WCD	—Member Convenor

(xvi)	Chairperson, National Commission for Women	—Member
(xvii)	Two Chief Ministers of States (by rotation to be nominated by Prime Minister)	—Member
(xviii)	Five Civil Society Members to be nominated by the Prime Minister in consultation with the MWCD	—Member

3. The State Mission Authority (SMA) will comprise the following :—

(i)	Chief Minister	—In Chair
(ii)	Minister of Basic/Secondary/ Higher/Technical Education	—Member
(iii)	Minister of Finance/Revenue	—Member
(iv)	Minister of Housing & Poverty Alleviation	—Member
(v)	Minister of Rural Development	—Member
(vi)	Minister of Panchayati Raj	—Member
(vii)	Minister of Agriculture/Cooperation	—Member
(viii)	Minister of Health & Family Welfare	—Member
(ix)	Minister of Small and Medium Enterprises/Industries	—Member
(x)	Minister of Law and Justice	—Member
(xi)	Minister of Environment/Forests	—Member
(xii)	Minister of Labour & Employment	—Member
(xiii)	Minister of Social Welfare	—Member
(xiv)	Minister, DWCD	—Member Convenor
(xv)	Chairman, State Planning Commission	—Member
(xvi)	Chairperson, State Commission for Women	—Member
(xvii)	Eminent Civil Society Members to be nominated by Chief Minister in consultation with Minister, DWCD	—Member

4. Besides, there will be a Central Monitoring Committee under the Chairpersonship of Minister of State for Women & Child Development and comprising representatives of the participating Ministries/Departments as well as domain experts, both official and non-official and State Governments representatives as Members to take stock of the convergence issues with different Ministries/ Departments and to keep the Mission apprised of it. An Inter Ministerial Co-ordination Committee under the Cabinet Secretary with the Secretaries of all participating Ministries/ Departments as Members will review and identify the Inter Ministerial issues requiring convergence in respect of each Ministry/Department. The Co-ordination Committee can co-opt other Ministries as Members.

5. Besides undertaking the monitoring for securing convergence under different schemes/programmes of Central and State Governments, the National Mission shall undertake through the Mission Directorate and Ministry of Women and Child Development, pilot projects to test check the feasibility of delivery of benefits to women beneficiaries in partnership with the Panchayati Raj Institutions. Ministry of Panchayati Raj shall also be consulted while preparing the contours of such pilot projects.

6. There will be a National Mission Directorate with National Resource Centre for Women (NRCW) as its adjunct to provide technical support to the National Mission Authority and the Coordination Committee. State Resource Centre for Women (SRCW) will be established for each State to provide technical support to SMA.

7. Necessary funds for the activities of the structures at the National level and State level as per norms will be made available by the Ministry of Women & Child Development.

SWARUP NANDKEOLYAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.